किस्म मुकदमाः– :– धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
नम्बरः– 22/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुनिल कुमार बनाम जिला कलक्टर फलौदी	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/8/24	अपीलार्थी सुनिल कुमार पुत्र अशोक कुमार वार्ड नंबर 32 टीबड़े का मौहल्ला फतेहपुर, जिला सीकर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2024 व 07.05.2024 में उसके द्वारा अपील में उल्लेखित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर फलौदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस पक्ष से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को कार्यालय जिला कलक्टर द्वारा नगर परिषद फलौदी के द्वारा सूचना प्रेषित की गई । जिसकी प्रति भी तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा मांगी गई शिवसर तालाब पर स्थित गणेश जी की मूर्ति के पास लगे उक्त दोनो शिलालेख/पत्थर आजादी से पूर्व के होने के कारण ऐतिहासिक एवं पुरातत्व विभाग से संबधित होना बताया है। इस संबध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नगर परिषद स्तर से नहीं की जा सकती। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। अपील फैसल होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। जिला मजिस्ट्रेट फलौदी (राज.)	